रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275234
CG-DL-E-06082026-275234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948
No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सं. 25/2026-27

विषय: प्रक्रिया-पुस्तक, 2023 के तहत इन्वेंटरी-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के परिचालन के संबंध में।

फ़ा.सं. 01/89/180/23/एएम-25/पीसी-9-पार्ट-(2).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय 9 के तहत इन्वेंटरी-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा कीरूपरेखा के परिचालन के लिए प्रक्रियाएं सम्मिलित करते हैं और एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकार्ड के पंजीकरण के लिए आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 9क को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप से शुरू करते हैं :

1. **इन्वेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा**

9.03 एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड का पंजीकरण, इनवेंटरी प्रबंधन, और परिचालन संबंधी बाध्यताएं

i. एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 9क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, उसमें निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

ii. एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, संशोधित एएनएफ-9क में डीजीएफटी को देगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, डीजीएफटी जांच कर सकता है कि क्या एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड रूपरेखा के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को अभी भी पूरा कर रहा हैऔर पंजीकरण की पुष्टि, संशोधन, निलंबन या रद्द कर सकता है, जैसा भी उचित हो।

iii. विदेशी व्यापार नीति के पैरा 9.16 के अनुरक्षित डिजिटल संग्रह:

क. समय-समय पर लागू कानून के अंतर्गत अधिकृत अन्य प्रधिकरणों के लिए सुलभ होगी तथा निर्यात इंवेंट्री को अनेक स्थानों पर रखे जाने की स्थिति में भी यह निरंतर क्रियाशील बनी रहेगी।

ख. प्रत्येक सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के खरीद रिकॉर्ड, जीएसटी चालान और निर्यात दस्तावेजों को लिंक करें।

iv. एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यात इंवेंट्री में रखे गए सामान सेलर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा घोषित विवरण, विशिष्टताओं और गुणवत्ता मानकों से मेल खाते हैं

v. निर्यात-ऑन-रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि निर्यात से पूर्व निर्यात इंवेंट्री में रखे गए सामान, गंतव्य देश के सभी लागू कानूनों, विनियमों और आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, जिसमें शामिल हैं:

क. परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन, प्रत्यापन, पंजीकरण, लाइसेंसिंग, अनुमोदन और अनुरूपता आकलन; और

ख. लेबल लगाना, पैकेजिंग, मार्किंग, उत्पाद की जानकारी, सुरक्षा चेतावनी, और कोई अन्य उत्पाद प्रस्तुति या बाजार पहुंच आवश्यकताएं।

vi. एफटीपी के पैरा 9.17 (iv) में उल्लिखित प्रशासनिक प्रभार निर्यात छूट और रिफंड की सकल राशि के 10% से अधिक नहीं होगा।

vii. विक्रेता-जनित निर्यात लाभों का वितरण एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा निर्यात छूट और रिफंड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता-ऑन-रिकॉर्ड को किया जाएगा।

viii. निर्यात छूट और रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया और तौर-तरीकों की समीक्षा पायलट चरण के दौरान डीजीएफटी द्वारा की जा सकती है

9.04सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के अधिकार और लक्ष्यता

i. एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड प्रत्येक सेलर-ऑन-रिकॉर्ड को उस सेलर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए माल से संबंधित निर्यात इन्वेंटरी प्रबंधन और पृथक्करण के समेकित डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करेगा।

ii. इस पैराग्राफ के तहत सेलर-ऑन-रिकॉर्ड को सुलभ डिजिटल रिकॉर्ड में उस सेलर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए सामान से संबंधित निम्नलिखित जानकारी शामिल हों:

क. भारत के बाहर खरीदार को अंतिम बिक्री मूल्य;

ख. आदेश की स्थिति;

ग. शिपमेंट ट्रैकिंग विवरण और गंतव्य देश।

iii. एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि माल के निर्माता या ब्रांड मालिक की पहचान, और जहां सेलर-ऑन-रिकॉर्ड निर्माता या ब्रांड मालिक से अलग है, वहां सेलर-ऑन-रिकॉर्ड की पहचान, उत्पाद सूची या ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से खरीदार को उचित रूप से प्रकट की जाती है, जो लागू हो सकते हैं।

9.05रिवर्स लॉजिस्टिक्स और वापस की गई कंसाइनमेंट

i.एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड, सेलर-ऑन-रिकॉर्ड से प्राप्त माल को वापस करेगा जो एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा उन माल की स्वीकृति या स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर अपेक्षित विवरण, विनिर्देशों या गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।

ii.भारत के बाहर के खरीदारों से वापस आए या अस्वीकार की गई खेपों को,भारत में उनके मिलने की तारीख से 30दिनों के भीतर या तो फिर से निर्यात किया जाएगा, 'सेलर-ऑन-रिकॉर्ड' को वापस किया जाएगा, या फिर नष्ट करके या आपसी सहमति से तय किए गए किसी अन्य तरीके से उनका निपटान किया जाएगा।

iii.ऐसे सामान को संभालने से जुड़ी शर्तें, जैसे कि निर्यात ऑर्डर को रद्द करना, लौटाना या अस्वीकार करना, मरम्मत, पुन: निर्यात करनाया सामान को नष्ट या डिस्पोज़ करना, 'सेलर-ऑन-रिकॉर्ड' और 'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' के बीच हुए समझौते में साफ़ तौर पर बताई जाएंगी।ये शर्तें निष्पक्ष, पारदर्शी और सत्यापन करने योग्य होनी चाहिए।

9.06अनुपालन प्रमाणीकरण

i. 'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट याडीजीएफटी द्वारा बताए गए किसी अन्य पेशेवर से एक प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाणपत्र इस रूपरेखा के तहत तय की गई ज़िम्मेदारियों के पालन की पुष्टि करेगा, जिसमें इनसे जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं:

क. निर्यात इंवेंट्री का रखरखाव और उसे अगल रखना;

ख. निर्यात इंवेंट्री को घरेलू बाज़ार में भेजने पर रोक, जिसमें वापस आए या अस्वीकृत की हुई खेपें भी शामिल हैं;

ग. सेलर की जानकारी दिखाने और ब्रांड का खुलासा करने का दायित्व;

घ. भुगतान का निपटान, जिसमें भुगतान अवधि और निर्यात पर मिलने वाली छूट और वापसी के भुगतान की अवधि का पालन करना शामिल है;

ङ. निर्यात पर मिलने वाली छूट और वापसी पुनर्वितरण गणना की सटीकता;और

च. वापस की गई या अस्वीकृत खेपों को संभालना और उनका निपटान करना।

ii.एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को प्रमाणन पूरा करने के लिए आवश्यक सभी लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

iii.'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के अंदर, उस वित्तीय वर्ष के लिए डीजीएफटी को नियमों के पालन का प्रमाणपत्र देना होगा, या डीजीएफटी द्वारा तय किए गए दूसरे समय-अंतराल पर इसे जमा करना होगा।

iv.एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को उस वित्तीय वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस रूपरेखा के तहत संचालन से संबंधित सभी रिकॉर्ड बनाए रखने और संरक्षित करने चाहिए, जिसमें संबंधित निर्यात इंवेंट्री को अंततः निर्यात, पुन: निर्यात, वापस, अस्वीकार, नष्ट या अन्यथा निपटाया जाता है।

v.'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' के तौर पर पंजीकरण के रद्द होने, निलंबन होने या स्वेच्छा से समर्पण करने के बाद भी रिकॉर्ड बनाए रखने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बनी रहेगी और संबंधित वित्तीय वर्ष से पूरे पाँच साल की अवधि तक संबंधित संस्था पर यह बाध्यता लागू रहेगी।

9.07 विवाद समाधान

i.इस रूपरेखा के अंतर्गत'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड'और 'सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड' के बीच किसी भी विवाद या शिकायत को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले डीजीएफटीके क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास भेजा जा सकता है।क्षेत्रीय प्राधिकारी, 'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' और 'सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड'को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगा और लागू कानून के तहत पार्टियों के अधिकारों पर असर डाले बिना, शिकायत मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर विवाद या शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा।

ii.इस रूपरेखा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विवाद डीजीएफटीके उस क्षेत्रीय प्राधिकारी के सामने रखा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में 'सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड'के व्यवसाय कावह स्थान आता है, जहाँ से वह आपूर्ति की गई थी जो विवाद का विषय बनी।

iii.जहां विवाद या शिकायत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अनसुलझी रहती है, या जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी का मानना है कि मामले को आगे की जांच की आवश्यकता है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, मामले को आगे की जांच के लिए डीजीएफटी (मुख्यालय) को संदर्भित कर सकता है। डीजीएफटी (मुख्यालय) इस रूपरेखा के तहत उचित समझे जाने वाले प्रशासनिक निदेशों या सिफारिशें जारी करने से पहले पार्टियों या क्षेत्रीय प्राधिकारी से ऐसे रिकॉर्ड, जानकारी या टिप्पणियां मांग सकता है जो वह आवश्यक समझता है।

iv. इस पैरा में कुछ भी एक सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के अधिकारों को कम नहीं करेगा जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, जिसमें उस अधिनियम की धारा 18 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भ देने का अधिकार भी शामिल है।

2. आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 9क, "इंवेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड (ईओआर) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन" के लिए, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-I में रखा गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: इंवेंट्री-आधारित सीमा-पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु परिचालन प्रक्रियाएँ, जिनमें एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड का पंजीकरण, इंवेंट्री प्रबंधन, विक्रेता की दृश्यता, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, अनुपालन प्रमाणन, विवाद निवारण तथा संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ, साथ ही एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र एएनएफ-9क एतद्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

अनुलग्नक-1

एएनएफ- 9 क

एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड (ईओआर) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

इन्वेंटरी-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के तहत

इस पूर्ण आवेदन की स्कैन की गई प्रतियां अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ ईमेल द्वारा ecommerce-dgft@gov.inपर भेजी जाएंगी। कृपया यह फॉर्म भरने से पहले लागू विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक को पढ़ लें।

1. सामान्य सूचना

आइईसी नंबर: ____________	पैन: ____________
जीएसटीआइएन: ____________	आवेदक का आधिकारिक नाम: ____________
फर्म का गठन: स्वामित्व/साझेदारी एलएलपी/कंपनी/अन्य: ____________	सीआइएन/एलएलपीआइएन (यदि लागू हो):
समावेश/पंजीकरण की तारीख: ____________	पंजीकृत कार्यालय का पता: ____________

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: ________________	पदनाम: ________________
मोबाइल नं.: ____________________	ईमेल: ________________

2. एफडीआइ और ई-कॉमर्स इकाई की जानकारी

(i)पूर्णतः शामिल करने के आधार पर आवेदक इकाई में विदेशी निवेश का प्रतिशत (आवेदन की तारीख के अनुसार):	________________

(ii)विदेशी निवेशकोंकेनाम और देश

निवेशक का नाम	निवेशक का देश

(iii)ई-कॉमर्स इकाई के साथ संबंधित और संबद्धआवेदक का नाम:	
(iv)आवेदक इकाई और ई-कॉमर्स इकाई के बीच संबंध की प्रकृति (उदाहरण के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, संबंध इकाई, नामित इकाई)	

3. निर्यात विशेष विवरण

i. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक कुल कारोबार और निर्यात कारोबार (यदि नया पंजीकरण हुआ है तो खाली छोड़ दें):

वित्तीय वर्ष	कुल कारोबार (₹)	निर्यात कारोबार (₹)
20___–20___		
20___–20___		
20___–20___		

ii. निर्यात के लिए प्रस्तावित देश:	__________, __________ __________, __________, __________

4. ई-कॉमर्स संचालन

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम जिसके माध्यम से निर्यात प्रस्तावित है और प्रत्येक प्लेटफॉर्म के साथ आवेदक के संबंध की प्रकृति:

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम	संबंध की प्रकृति (उदाहरण के लिए विक्रेता खाता, पूरा करने वाले साझेदार,संबद्ध इकाई)

5. वेयरहाउस/इंवेंट्री स्थान

ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) सुविधा सहित उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें जहां औरइंवेंट्री एक्सपोर्ट रखी जाएगी:

कापता स्थान	इस स्थान के लिए जीएसटी पंजीकरण	ईसीईएच? (हाँ/नहीं)	अनुमानित भंडारण क्षमता	स्वामित्व (खुद का/पट्टे पर)	संचालन का विवरण

6. पंजीकरण विवरण में संशोधन(किसी भी ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) सुविधा सहित उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें जहां निर्यात इंवेंट्री रखी जाएगी)

i. <u>प्रस्तुति का उद्देश्य</u>

- ☐ आवेदक के स्वरूप या संरचना में परिवर्तन
- ☐ आवेदक के नाम में परिवर्तन
- ☐ पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन
- ☐ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन
- ☐ शेयरहोल्डिंग पैटर्न/एफडीआई में परिवर्तन
- ☐ ई-कॉमर्स इकाई के साथ संबंध में परिवर्तन
- ☐ वेयरहाउस/निर्यात इंवेंट्री में परिवर्तन स्थान
- ☐ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शामिल करना और हटाना
- ☐ संपर्क विवरण में परिवर्तन
- ☐ पंजीकरण को वापस किया जाना
- ☐ कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

ii. संशोधन का विवरण

विवरण	मौजूदा पंजीकरण विवरण	संशोधित पजीकरण	परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि

7. घोषणा

मैं/हम, (आवेदक इकाई के नाम), आवेदक इकाई की ओर से निम्नलिखित की घोषणा, वचनबद्धता और अभिस्वीकृति करते हैं:

i. इस आवेदन में और सभी संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं। किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है, रोका नहीं गया है या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई है।

ii. मैं वचन देता हूँ किसमय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, विदेश व्यापार नीति, 2023, प्रक्रिया पुस्तक, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, और अन्य सभी लागू कानूनों, विनियमों, नियमों और आदेशों, के सख्त अनुपालन में इंवेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के तहत सभी कार्यों को करूँगा।

iii. मैं वचन देता हूं कि संरचना, स्वामित्व, एफडीआई संरचना, वेयरहाउस या इंवेंट्री स्थानों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एसोसिएशन, या किसी अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में डीजीएफटी को ऐसे किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर सूचित करूंगा।

iv. मैं इसे स्वीकार और मंजूर करता हूं कि इस घोषणा में दिए गए वचनबद्यता का कोई भी उल्लंघन, या इन्वेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा के तहत दायित्व का कोई भी अनुपालन नहीं किया जाना, जिसमें निर्यात इंवेंट्री को घरेलू बाजार में परिवर्तन, सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड को विलंबित या आकस्मिक भुगतान, विक्रेता के कारण निर्यात लाभों, के समय पर मिलने में हूई चूकमाल के उद्गम की झूठी जानकारी देना, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता, गलत जानकारी प्रदान करना, सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी का दुरुपयोग या अनधिकृत प्रकटीकरण, या सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड से शिकायत प्राप्त करना शामिल है। उचित प्रक्रिया के बाद, आवेदक निम्नलिखित में से एक या अधिक के लिए उत्तरदायी होगा:

a. इस रूपरेखा के तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकरण का रद्द होना या निलंबितहोना;

b. आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड (आईईसी) का निलंबित होना या रद्द होना;

c. विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.14 के अनुसार अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में नाम जाला जाना

d. प्रयुक्त निर्यात छूट और रिफंड, साथ ही लागू ब्याज की वसूली

e. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, या किसी अन्य लागू कानून के तहत दंडात्मक या अभियोजन की कार्यवाही शुरू करना

f. कोई भी ऐसी अन्य कार्रवाई जो लागू कानून के तहत उचित हो।

v. मैं स्वीकार करता हूं कि इस आवेदन में या किसी भी संबंधित दस्तावेज में असत्य, गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना ऊपर सूचीबद्ध सभी परिणामों के लिए स्वतंत्र रूप से आधार बनेगा।

vi. मैं इस आवेदन और इससे संबंधित घोषणा पर हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने और इसे प्रस्तुत करने के लिए आवेदक इकाई द्वारा उसकी ओर सेविधिवत प्राधिकृत हूं।

☐मैंने उपरोक्त घोषणा को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है और आवेदक इकाई की ओर से सभी शर्तों, वचनबद्धता और अभिस्वीकृतियों को स्वीकार करता हूं।

स्थान : ____________________	तिथि : ____________________
नाम : ____________________	पदनाम : ____________________

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की सील, जो लागू हो)

अनुलग्नक-I—इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

(पूर्ण रूप भरे गए प्रपत्र के साथ स्कैन की गई प्रतियां *ecommerce-dgft@gov.in*पर ईमेल की जानी हैं*)*

क्रम सं.	दस्तावेज
1	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में बोर्ड प्रस्ताव या प्राधिकार पत्र
2	आवेदक इकाई और ई-कॉमर्स इकाई (उदाहरण के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न, समूह संरचना चार्ट, बोर्ड की संरचना) के बीच संबंधों की प्रकृति का दस्तावेजी साक्ष्य
3	पट्टे या स्वामित्व दस्तावेजों सहित वेयरहाउस/इंवेंट्री स्थान (ओं) का विवरण
4.	आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th August, 2026

No. 25 /2026-27

Subject: Operationalisation of the Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework under the Handbook of Procedures, 2023 -regarding

F. No. 01/89/180/23/AM-25/PC-9-Part-(2).—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade inserts procedures for operationalisation of the Inventory-Based Cross-Border E-Commerce Facilitation Framework under Chapter 9 of the Handbook of Procedures and introduces AayaatNiryaat Form (ANF) 9A for registration of Exporters-on-Record, with immediate effect, as follows:

1. INVENTORY-BASED CROSS-BORDER E-COMMERCE FACILITATION FRAMEWORK

9.03 Registration, Inventory Management, and Operational Obligations of the Exporter-on-Record

i. An application for registration as an Exporter-on-Record shall be made in the form and manner prescribed in AayaatNiryaat Form (ANF) 9A, along with the documents specified therein.

ii. The Exporter-on-Record shall intimate DGFT of any change in the particulars furnished at the time of registration, within 30 days from the date of such change, in a revised ANF-9A. Upon receipt of such intimation, DGFT may examine whether the Exporter-on-Record continues to satisfy the eligibility conditions prescribed under the Framework and may confirm, modify, suspend or cancel the registration, as may be appropriate.

iii. The digital repository maintained as per Para 9.16 of the Foreign Trade Policy shall:

a. be accessible to DGFT and such other authorities as may be authorised under applicable law from time to time, and shall remain operational regardless of the multiplicity of locations at which Export Inventory is held; and

b. link procurement records, GST invoices and export documents of the Exporter-on-Record to the records of each Seller-on-Record.

iv. The Exporter-on-Record shall ensure that goods held in Export Inventory match the descriptions, specifications, and quality parameters as declared by the Seller-on-Record.

v. The Exporter-on-Record shall be solely responsible for ensuring that goods held in the Export Inventory, prior to export, comply with all applicable laws, regulations, and requirements of the destination country, including:

a. testing, inspection, certification, accreditation, registration, licensing, approvals, and conformity assessments; and

b. labelling, packaging, marking, product information, safety warnings, and any other product presentation or market access requirements.

vi. The administrative charge referred to in Para 9.17(iv) of the FTP shall not exceed 10% of the gross amount of Export Rebates and Refunds.

vii. Seller-attributable Export Benefits shall be disbursed to the Seller-on-Record within 30 days of receipt of Export Rebates and Refunds by the Exporter-on-Record.

viii. The process and modalities for claiming Export Rebates and Refunds may be reviewed by DGFT during the pilot phase.

9.04 Rights and Visibility of Seller-on-Record

i. Exporter-on-Record shall provide each Seller-on-Record with access to consolidated digital records of Export Inventory management and segregation pertaining to goods supplied by that Seller-on-Record to the Exporter-on-Record.

ii. The digital records made accessible to the Seller-on-Record under this paragraph shall include, as a minimum, the following information pertaining to the goods supplied by that Seller-on-Record:

a. final sale price to the buyer outside India;

b. order status;

c. shipment tracking details and destination country.

iii. The Exporter-on-Record shall ensure that the identity of the manufacturer or brand owner of the goods, and where the Seller-on-Record is different from the manufacturer or brand owner, the identity of the Seller-on-Record, is appropriately disclosed to the buyer through the product listing or such other means as may be applicable.

9.05 Reverse Logistics and Returned Consignments

i. The Exporter-on-Record shall return the goods received from the Seller-on-Record that fail to meet the required descriptions, specifications, or quality parameters, within 7 days of acceptance or deemed acceptance of those goods by the Exporter-on-Record.

ii. Returned or rejected consignments received from buyers outside India shall be re-exported, returned to the Seller-on-Record, or disposed of by destruction or such other means as may be agreed, not later than 30 days from the date of receipt of such consignment in India.

iv. Terms governing the handling of such goods, including cancellation, return or rejection of the export order, repair, re-export, destruction or disposal of goods, shall be explicitly defined in the agreement between Seller-on-Record and Exporter-on-Record. Such terms shall be fair, transparent, and verifiable.

9.06 Compliance Certification

i. The Exporter-on-Record shall obtain from an independent Chartered Accountant, Cost Accountant, or such other professional as may be specified by DGFT, a certificate confirming compliance with the obligations prescribed under this Framework, including those relating to:

a. maintenance and segregation of Export Inventory;

b. prohibition on domestic diversion of Export Inventory, including in respect of returned or rejected consignments;

c. seller visibility and brand disclosure obligations;

d. payment settlement, including compliance with the payment period and the Export Rebates and Refunds disbursement period;

e. accuracy of Export Rebates and Refunds apportionment calculations; and

f. handling and disposal of returned or rejected consignments.

ii. The Exporter-on-Record shall be required to provide all books of account, records and assistance reasonably required for completion of the certification.

iii. A certificate of compliance shall be furnished by the Exporter-on-Record to DGFT within 90 days from the end of each financial year in respect of that financial year, or at such other intervals as DGFT may prescribe.

iv. The Exporter-on-Record shall maintain and preserve all records relating to operations under this Framework for a period of five years from the end of the financial year in which the Export Inventory concerned is finally exported, re-exported, returned, rejected, destroyed or otherwise disposed of.

v. The obligation to maintain and preserve records shall survive the cancellation, suspension, or voluntary surrender of registration as Exporter-on-Record and shall continue to bind the entity for the full five-year period from the relevant financial year.

9.07 Dispute Resolution

i. Any dispute or grievance between the Exporter-on-Record and the Seller-on-Record arising under this Framework may be referred to the Regional Authority of DGFT having jurisdiction. The Regional Authority shall provide the Exporter-on-Record and the Seller-on-Record a reasonable opportunity of being heard and shall endeavour to facilitate resolution of the dispute or grievance within 30 days from the date of receipt of the complaint, without prejudice to the rights of the parties under applicable law.

ii. For the purposes of this Framework, the dispute shall lie before the Regional Authority of DGFT having jurisdiction over the place of business of the Seller-on-Record from which the supply forming the subject matter of the dispute was made.

iii. Where the dispute or grievance remains unresolved after the expiry of the period specified, or where the Regional Authority considers that the matter requires further examination, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to DGFT (Headquarters) for further examination. DGFT (Headquarters) may call for such records, information or comments from the parties or the Regional Authority as it considers necessary before issuing such administrative directions or recommendations as may be considered appropriate under this Framework.

iv. Nothing in this para shall derogate from the rights of a Seller-on-Record that is a micro or small enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, including the right to make a reference to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council under Section 18 of that Act.

2. AayaatNiryaat Form (ANF) 9A, for the “Application for Registration as Exporter-on-Record (EOR) under the Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework”, placed at Annexure-I to this Public Notice is hereby notified.

Effect of this Public Notice: The operational procedures for implementation of the Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework, including registration of Exporters-on-Record, inventory management, seller visibility, reverse logistics, compliance certification, dispute resolution, and related procedural requirements as well as ANF-9A for application for registration of Exporters-on-Record are hereby notified with immediate effect.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

ANNEXURE-1

ANF–9A

Application for Registration as Exporter-on-Record (EOR)

under the Inventory-based Cross-Border E-Commerce Facilitation Framework

Scanned copies of this completed application along with documents listed in Annexure-I shall be submitted by email to ecommerce-dgft@gov.in. Please read the applicable Foreign Trade Policy & Handbook of Procedures before filling this Form.

1. General Information

IEC Number: ____________________	PAN: ____________________
GSTIN: ____________________	Legal Name of Applicant: ____________________
Constitution of Firm: Proprietorship / Partnership / LLP / Company / Others: ____________________	CIN / LLPIN (if applicable): ____________________
Date of Incorporation/ Registration: ____________________	Registered Office Address: ____________________
Name of Authorised Signatory: ____________________	Designation: ____________________
Mobile Number: ____________________	Email ID: ____________________

2. **FDI and E-Commerce Entity Disclosure**

(i) Percentage of Foreign Investment in the applicant entity on a fully diluted basis (as on the date of application) :	____________

(ii) Name(s) and Country(ies) of Foreign Investor(s):

Name of Investor	Country of Investor

(iii) Name of the e-commerce entity with which the applicant is associated or affiliated:	____________
(iv) Nature of the relationship between the applicant entity and the e-commerce entity (e.g. wholly owned subsidiary, associate entity, designated entity):	____________

3. Export Particulars

i. Annual Total Turnover and Export Turnover for the last three financial years (leave blank if newly incorporated):

Financial Year	Total Turnover (₹)	Export Turnover (₹)
20__ – 20__		
20__ – 20__		
20__ – 20__		

ii. Proposed Countries of Export:	_______,_______, _______,_______,_______

4. E-Commerce Operations

Name of E-Commerce Platform(s) through which exports are proposed and nature of the applicant's relationship with each platform:

Name of E-Commerce Platform	Nature of Relationship (e.g. seller account, fulfilment partner, affiliate entity)

5. Warehouse / Inventory Location(s)

Provide details of all locations where Export Inventory will be held, including any E-Commerce Export Hub (ECEH) facility:

Address of Location	GST Registration for this Location	ECEH? (Yes / No)	Approx. Storage Capacity	Ownership (Own / Leased)	Operator Details

6. Amendment to Registration Particulars *(To be completed only where this Form is submitted for amendment of registration.)*

i. Purpose of Submission

☐ Change in Constitution of the Applicant

☐ Change in Name of the Applicant

☐ Change in Registered Office Address

☐ Change in Authorised Signatory

☐ Change in Shareholding Pattern / FDI

☐ Change in Relationship with E-Commerce Entity

☐ Change in Warehouse / Export Inventory Location(s)

☐ Addition / Deletion of E-Commerce Platform(s)

☐ Change in Contact Details

☐ Surrender of Registration

☐Any other material change

ii. Details of Amendment

Particular	Existing Registration Particulars	Revised Particulars	Effective Date of Change

7. Declaration

I / We, ____ (name of applicant entity), hereby declare, undertake, and acknowledge the following on behalf of the applicant entity:

i. The information furnished in this application and in all accompanying documents is true, correct, and complete to the best of my / our knowledge and belief. Nothing material has been concealed, withheld, or misrepresented.

ii. I undertake to carry out all operations under the Inventory-based Cross-Border E-Commerce Facilitation Framework in strict compliance with the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, the Foreign Trade Policy, 2023, the Handbook of Procedures, the Customs Act, 1962, the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Central Goods and Services Tax Act, 2017, and all other applicable laws, regulations, rules, and orders, as amended from time to time.

iii. I undertake to intimate DGFT of any change in constitution, ownership, FDI structure, warehouse or inventory locations, e-commerce platform association, or any other material change, within 30 days of such change.

iv. I acknowledge and accept that any breach of the undertakings given in this Declaration, or any non-compliance with the obligations under the Inventory-based Cross-Border E-Commerce Facilitation Framework, including but not limited to diversion of Export Inventory to the domestic market, delayed or contingent payment to Sellers-on-Record, mis-apportionment of Seller-attributable Export Benefits, misrepresentation of origin of goods, failure to maintain prescribed records, provision of false or misleading information, misuse or unauthorised disclosure of information relating to the Seller-on-Record, or receipt of a complaint from a Seller-on-Record shall, after due process, render the applicant liable to one or more of the following:

   a. cancellation or suspension of registration as Exporter-on-Record under this Framework;

   b. suspension or cancellation of the Importer-Exporter Code (IEC);

   c. placement in the Denied Entity List (DEL) in accordance with Para 2.14 of the Foreign Trade Policy, 2023;

   d. recovery of Export Rebates and Refunds availed, together with applicable interest;

   e. initiation of penal or prosecution proceedings under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, Rules and Orders made thereunder, or under any other applicable law; and

   f. any such other action as may be warranted under applicable law.

v. I acknowledge that furnishing false, incorrect, or misleading information in this application or in any accompanying document shall independently constitute grounds for all the consequences listed above.

vi. I am duly authorised by the applicant entity to sign, verify, and submit this application and the accompanying Declaration on its behalf.

☐ I have read and understood the above Declaration in its entirety and accept all the terms, undertakings, and acknowledgements on behalf of the applicant entity.

Place: ______________________	Date: ______________________
Name: ______________________	Designation: ______________________

Signature of Authorised Signatory

(Company Seal, as applicable)

Annexure-I — Documents to be Submitted with this Application

(Scanned copies to be emailed to ecommerce-dgft@gov.in along with the completed Form)

Sl. No.	Document
1	Board Resolution or Letter of Authorisation in favour of the Authorised Signatory
2	Documentary evidence of the nature of relationship between the applicant entity and the e-commerce entity (e.g. shareholding pattern, group structure chart, board composition)
3	Details of warehouse(s) / inventory location(s), including lease or ownership documents as applicable
4.	Any other document as required.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.06 12:41:57 +05'30'